

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

संख्या- 1/श्रम वि०ई०७-7033/2012 श्र०सं०-

205


पटना, दिनांक- 15.3.13

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन सं० 46/2009, श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्राचार्य एवं समकक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित 28 (अट्ठाईस) अभ्यर्थियों की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच/ सत्यापन हेतु विभागीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा श्री विनय कुमार का अनुभव प्रमाण पत्र जाँचाधीन पाया गया जाँचोपरान्त इनकी मूल कोटि प्राचार्य एवं समकक्ष औ० प्र० संस्थान के पद पर वेतनमान ₹6500-10,500/- (अपु०) ₹ 9,300- 34,800/- पे बैण्ड-2, ग्रेड पे-4800/- (पुन०) में पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति की जाती है तथा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	अनुक्रमांक	आरक्षण कोटि	आवंटित आरक्षण	पदस्थापित संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विनय कुमार S/o स्व० अशोक कुमार सिंह, ग्रा०+पो०-रामपुर थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा (बिहार) ।	2 70147	सामान्य (1)	सामान्य	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवनगर(बेनीपट्टी) मधुबनी।

2. इनका चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है और अनुकूल है ।
3. ये आगामी दो वर्षों तक परीक्षाधीन रहेंगे तथा उक्त अवधि में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे ।
4. इनके द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनाएँ भविष्य में गलत पाये जाने पर नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सरकार को रहेगा ।
5. साक्षात्कार के उपरान्त सरकार द्वारा गठित चिकित्सा पंथ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य जाँच प्रमाण पत्र की मूल प्रति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस विभाग को उपलब्ध करा दी गई है ।
6. अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक पक्ष (पन्द्रह दिन) के अन्दर स्तम्भ-6 में पदस्थापित संस्थान में अपना योगदान समर्पित करेंगे । निर्धारित तिथि तक योगदान समर्पित नहीं करने पर नियुक्ति रद्द की जा सकती है ।
7. नियुक्ति एवं पदस्थापन के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



11.3.13
(इन्दु सिंह)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 1/श्रम वि०ई०७-7033/2012 श्र०सं०-

205

पटना, दिनांक- 15.3.13

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।


11.3.13
(इन्दु सिंह)
सरकार के उप सचिव
11/3/13


ज्ञापांक- 1/श्रम वि0ई07-7033/2012 श्र0सं0- 205 पटना, दिनांक-15.3.13
 प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार,
 पटना / कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/ उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
 प्रेषित ।


 11.3.13
 (इन्दु सिंह)

ज्ञापांक- 1/श्रम वि0ई07-7033/2012 श्र0सं0- 205 सरकार के उप सचिव
 पटना, दिनांक- 15.3.13
 प्रतिलिपि- परीक्षा नियंत्रक -सह- अपर सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके
 पत्रांक-8/वि0प्र0-01-18/2009 - 204 दिनांक- 4.2.2011 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
 हेतु प्रेषित ।


 11.3.13
 (इन्दु सिंह)

ज्ञापांक- 1/श्रम वि0ई07-7033/2012 श्र0सं0- 205 सरकार के उप सचिव
 पटना, दिनांक- 15.3.13
 प्रतिलिपि- माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान
 आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ प्रधान
 सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/ सभी उप निदेशक, प्रशिक्षण/ सभी सहायक
 निदेशक, प्रशिक्षण/ परीक्षा नियंत्रक, बिहार, पटना/ क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/ सभी प्राचार्य,
 औ0प्र0संस्थान (महिला औ0प्र0संस्थान सहित)/ जिला पदाधिकारी, मधुबनी/ श्री विनय कुमार, डिपार्टमेन्ट
 ऑफ प्रोडक्शन इंजिनियरिंग, बी0आई0टी0 मेसरा, जिला- रॉंची(झारखण्ड) पिन कोड-835215/ सरकार
 पक्ष के सभी पदाधिकारियों (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/ आई0टी0 मैनेजर,(विभागीय वेबसाइट पर
 अपलोड करने हेतु) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


 11.3.13
 (इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव


 11/3/13